308
330

सहकारी फल–सब्जी क्रय विक्रय समिति लि. के उपनियम

नाम व पता

1. इस संस्था का नाम .... सहकारी फल–सब्जी क्रय विक्रय समिति लि. होगा।
2. इसका पंजीकृत पता .... होगा।

कार्यक्षेत्र

3. इसका कार्यक्षेत्र .... तक सीमित होगा।

परिभाषाऐं

4. उपनियमों में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकुल न हो उस समय तक–
   1) ''अधिनियम'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 तथा उनमें समय– समय पर किए गए संशोधनों से होगा।
   2) ''नियम'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 तथा इनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों से होगा।
   3) ''रजिस्ट्रार'' से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर अथवा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी से होगा।
   4) ''सोसायटी'' से तात्पर्य .... सहकारी फल सब्जी क्रय विक्रय समिति लि0 से होगा।

उद्देश्य

5. इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होगें:–
   1) सदस्यों द्वारा उत्पादित अथवा सदस्य सोसाइटियों द्वारा एकत्रित की गयी फल–सब्जियों की बिक्री का सहकारी रीति–नीति के अनुसार प्रबन्ध करना।
   2) आवश्यकतानुसार फल–सब्जी को बाजार भाव पर खरीदना, स्टाक करने के यथोचित प्रबन्ध करना व बेचना।
   3) सदस्यों के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के लिए यातायात के साधनों का प्रबन्ध करना।
   4) सहकारिता के आधार पर सदस्यों की फल–सब्जी की उपज को बढ़ाने का प्रयास करना व इस कार्य के लिए उत्तम बीज, खाद आदि की व्यवस्था करना।
   5) सदस्यों में उत्पादन के नये ढंगों का प्रचार करना।
   6) सदस्यों को फल–सब्जी पैदा करने के लिए तथा उनकी खडी फसल पर आवश्यकतानुसार उचित ब्याज पर ऋण देना।
   7) सोसाइटी के कारोबार को चलाने के लिए ऋण तथा धरोहर के रूप में रूपया एकत्रित करना।
   8) विक्रय के लिए अपने एजेन्ट नियुक्त करना व एजेन्सी देना।
   9) सदस्यों की फल–सब्जी संग्रह हेतु गोदाम/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना।
   10) ऐसे अन्य कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो तथा जिनसे सदस्यों की आर्थिक दशा में सुधार हो और उनमें सहकारिता का प्रसार हो।
   11) आवश्यकतानुसार फल–सब्जी को प्रसंस्कृत कर उनके उत्पादों के विक्रय हेतु यथोचित प्रबन्ध करना।

29/11/2013

सदस्यता

6. इस सोसाइटी के सदस्य तीन प्रकार के होंगेः-

   1) **अ श्रेणी के सदस्य-** सोसाइटी के कार्यक्षेत्र की प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी सोसाइटियां, अन्य प्राथमिक सहकारी समितियां एवं फल-सब्जी उत्पादक सहकारी सोसाइटियां तथा राज्य सरकार "अ" श्रेणी के सदस्य होंगे।

   2) **ब श्रेणी के सदस्य-** व्यक्तिगत सदस्य जो इस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो तथा फल-सब्जी उत्पादन का कार्य करते हो, सच्चरित्र हो, 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले हो तथा अन्य सब प्रकार के कानूनी तौर पर व्यवहार करने योग्य हो, "ब" श्रेणी के सदस्य होंगे।

   3) **स श्रेणी के सदस्य-** इस श्रेणी में आढ़तिये, विक्रेता, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर/हैण्डलिंग एजेन्ट आदि सदस्य बन सकेंगे। इस श्रेणी के सदस्य नाममात्र के सदस्य होंगे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा और न ही वे सोसाइटी के संचालन में भाग ले सकेंगे।

7. कोई व्यक्ति इस सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकेगाः-

   1) यदि उसने दिवालिया घोषित किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र दे रखा हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या दिवालियापन से मुक्त घोषित न किया गया हो।

   2) यदि उसको कारावास का दण्ड मिल चुका हो और वह दण्ड रद्द या माफ न हुआ हो, परन्तु किसी राजनैतिक मामले में तथा किसी ऐसे मामले, जिसमें अनैतिकता का समावेश न हो, करावास का दण्ड उस व्यक्ति के सदस्य बनने में बाधक नहीं होगा।

   3) यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम संख्या 16 में वर्णित निरर्हताएं रखता हो।

8. सोसाइटी के पंजीयन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सोसाइटी के प्राथमिक सदस्य कहलायेंगे। सोसाइटी के पंजीयन के उपरान्त सोसाइटी की सदस्यता इन उपनियमों के अनुसार दी जावेगी।

9. प्रत्येक सहकारी सोसाइटी व व्यक्ति को सदस्य बनते समय 10/-रू. प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा।

10. प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिज्ञा पत्र लिखना होगा कि वह सोसाइटी के चालू उपनियमों, उपनियमों एवं उनमें उसकी सदस्यता काल वैधानिक ढंग से किये गये संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन का पूर्णतया पालन करेगा। सदस्य सोसाइटी की ओर से यह प्रतिज्ञा पत्र अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखा जावेगा।

11. कोई भी व्यक्तिगत सदस्य सोसाइटी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे सकेगा जब तक कि उसको सदस्य बने 5 वर्ष न हो गये हो। इस अविधि के समाप्त होने के पश्चात् वह प्रबन्धकारिणी की अनुमति से हिस्सों में कमी कर सकता है या सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है यदि उनके द्वारा कय किये हुए हिस्से कोई और सदस्य या सदस्यता के लिए प्रार्थी क्रय करने को तैयार हो और उसकी तरफ से सोसाइटी का ऋण बाकी न हो तथा किसी अन्य सदस्य की ओर ऐसा ऋण बकाया न हो, जिसके लिए वह सदस्य प्रतिभूत हो। सदस्य सोसाइटी की सदस्यता उस सोसाइटी के भंग होने पर समाप्त हो सकेगी।

12. किसी भी व्यक्तिगत सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जावेगीः-

1) यदि वह उपनियम 3 में निर्धारित कार्यक्षेत्र छोडकर स्थाई रूप से बाहर चला गया हो।

2) यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसके लिये प्रार्थी हो।

3) यदि उसको किसी अनैकतिकता के अपराध में कारावास के अपराध का दण्ड मिला हो ऐसा सदस्य यदि अपील करने पर निरापराध घोषित कर दिया जावे तो पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

4) यदि सदस्य अपने फल-सब्जी उपज को **सोसाइटी** के मार्फत नहीं बेचता हो या अन्यत्र माल बेचता हो। उसे तीन माह का नोटिस देकर उचित जबाव न आने पर सदस्यता समाप्त कर दी जावेगी।

5) यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 16 में वर्णित निर्योग्यता रखता हो।

13. कोई भी सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अधोवर्णित किसी भी एक कारण पर सोसाइटी की सदस्यता से पृथक किया जा सकता है :-

1) यदि उसने सदस्यता के प्रतिबन्धों का पालना न किया हो।

2) यदि वह सोसाइटी के साथ सच्चाई का व्यवहार न करें या जानबूझकर उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करें।

किन्तु उस सदस्य को साधारण सभा में अपील करने का अधिकार होगा।

14. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी सदस्यता स्वतः भंग हो जावेगी और उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अथवा उत्तराधिकारी को, यदि वे सदस्य न बनाये जावें, उसके हिस्सों की पूंजी व अन्य देय धन राजस्थान सहकारी नियम व उपनियमानुसार लौटा दिया जावेगा।

15. सदस्यता समाप्त होने के पश्चात भी समाप्त होने की तारीख से 2 वर्ष पश्चात तक ऐसा सदस्य सोसाइटी द्वारा देय ऋण चुकाने के लिए जो उसके पृथक होने की तारीख पर सोसाइटी की ओर बाकी था उपनियम के अनुसार उत्तरदायी होगा। ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी सम्पत्ति पर यह उत्तरदायित्व लागू होगा।

16. कोई भी सदस्य प्रबन्धकारिणी के पूर्व स्वीकृति के बिना अपना हिस्सा या हिस्से व उनका भाग किसी दूसरे सदस्य या अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी।

उत्तरदायित्व

17. सोसाइटी के ऋण चुकाने के लिए सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा खरीद किये गये मूल्य के हिस्सों के पांच गुणे तक सीमित रहेगा।

पूंजी

18. इस सोसाइटी की पूंजी निम्न प्रकार बनेगीः-

1) हिस्सा पूंजी

2) प्रवेश शुल्क

3) धरोहर

4) ऋण

5) अन्य पूंजी

हिस्सा पूंजी

19. इस सोसाइटी की अधिकृत हिस्सा पूंजी रूपये 10,00,000/–रू. होगी। यह अधिकृत पूंजी किसी भी समय आवश्यकतानुसार साधारण सभा के प्रस्ताव पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति से बढाई जा सकती है।

20. प्रत्येक ''अ'' श्रेणी के हिस्से के मूल्य 1000/– रू. तथा ''ब'' श्रेणी का 500/–रू. का होगा।

21. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक हिस्सा अवश्य क्रय करना होगा।

22. सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य अपने ऐसे उत्तराधिकारी का नाम सोसाइटी को लिखित में दे सकता है, जिसे कि सदस्य की मृत्यु की दशा में हिस्से, तत्संबंधी धन या अन्य कोई धन जो उसके नाम से जमा हो दिया जा सके अथवा उसके नाम से जमा किया जा सके।

23. किसी भी व्यक्तिगत सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके जमा किये हुए हिस्सों का धन तथा तत्संबंधी अन्य कोई रकम उसके जिम्मे का चुकता हिसाब करने के पश्चात उसके नियत किये हुए उत्तराधिकारी को अथवा ऐसे उत्तराधिकारी के अभाव में उसे उस व्यक्ति को वापिस किया जा सकता है, जिसे कि प्रबंधकारिणी समिति राजकीय कानून की दृष्टि से उसका वास्तविक अधिकारी समझे, किन्तु ऐसे व्यक्ति से क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (इन्डेमनिटि बाण्ड) लिखवाना होगा।

सोसाइटी द्वारा ऋण लेना

24. सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति साधारण सभा द्वारा निश्चित तथा रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा तक सोसाइटी के कारोबार चलाने के लिए आवश्यकतानुसार ऋण अथवा धरोहर सदस्यों तथा असदस्यों से प्राप्त कर सकती है।

पूंजी का उपयोग

25. सोसाइटी द्वारा एकत्रित की हुई पूंजी सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने में काम में ली जावेगी और शेष पूंजी सहकारी कानून तथा उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार जिले की सहकारी बैंक में जमा कराई जावेगी।

साधारण सभा

26. सोसाइटी के संचालन के बारे में नीति बनाने का सर्वाधिकार सोसाइटी की साधारण सभा को होंगे, जिसकी बैठक आवश्यकतानुसार समय समय पर की जा सकेगी, किन्तु सोसाइटी की "वार्षिक साधारण सभा" की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह की कालावधि के भीतर–भीतर बुलाया जाना आवश्यक होगा।

27. साधारण सभा प्रबन्धकारिणी/पदाधिकारीगण के ऐसे अधिकारों में, जो इन उपनियमों द्वारा विशेष रूप से प्रदान किये गये है, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अन्य कार्यो के साथ–साथ साधारण सभा के निम्नलिखित अधिकार होंगे:–

1) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णय की अपील सुनना।

2) सोसाइटी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा बनाये गये नियमों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।

3) अन्य उपस्थित मामलों का निर्णय करना।

4) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 के नियम 73 के प्रावधानानुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षा फर्म की सोसाइटी के अंकेक्षण हेतु नियुक्ति करना, लेखापरीक्षक की फीस निर्धारित करना तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन करना।

वार्षिक साधारण सभा

28. वार्षिक साधारण सभा में निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1) गत वर्ष के कार्य विवरण एवं आय व्यय परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार।

2) अधिनियम व नियम तथा सोसाइटी के उपनियमानुकूल लाभ वितरण करना।

3) सोसाइटी के कारोबार के लिए सोसाइटी द्वारा लिये जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करना और उसकी पंजीयक, सहकारी समितियां से स्वीकृति लेना।

4) सदस्यों की आर्थिक अवस्था की जांच करना तथा उनकी अधिकतम साख सीमा निर्धारित करना।

5) सहकारी विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण पत्र तथा तत्संबंधी विषयों पर प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा प्रकट किये गये मत पर विचार करना।

6) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य नियमों पर विचार।

7) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 73 के प्रावधानानुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षा फर्म की सोसाइटी के अंकेक्षण हेतु नियुक्ति करना, लेखापरीक्षक की फीस निर्धारित करना तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन करना

8) अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर अन्य विषयों पर विचार करना।

29. साधारण सभा का विशेष अधिवेशन निम्न प्रकार से बुलाया जा सकता हैः-

1) प्रबन्धकारिणी समिति के बुलाने पर।

2) कुल सदस्यों का 1/6 या 50 सदस्य, जो भी कम हो, के लिखित प्रार्थना पत्र पर।

3) पंजीयक, सहकारी समितियां की आज्ञा से अथवा किसी ऐसे अधिकारी के बुलाने पर, जिसे वे इस कार्य के लिए नियुक्त करें।

30. साधारणतया साधारण सभा की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जावेगी, जिसमें विचारणीय विषयों एवं स्थान, समय आदि का उल्लेख होगा।

31. वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ, जहां तक सम्भव हो, सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट एवं आय व्यय परीक्षक द्वारा प्रमाणित आंकडे प्रेषित किये जावेगें, किन्तु किसी सदस्य को इस प्रकार की सूचना न पहुंचने के कारण सभा की कार्यवाही अवैधानिक नहीं समझी जावेगी।

32. कोई सदस्य यदि साधारण सभा में प्रस्ताव रखना चाहे तो उसे अपना लिखित प्रस्ताव निश्चित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व्यवस्थापक के पास भेजना होगा, किन्तु सभापति को अधिकार होगा कि विशेष परिस्थिति में सभा आरम्भ होने से पूर्व किसी भी समय ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लें।

33. सभा संचालन या उपसमितियां नियुक्त करने या किसी विषय को प्रबन्धकारिणी समिति को सौपने के संबंध में अथवा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा आवश्यक कार्य को प्रस्तुत करने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता न होगी।

34. कुल सदस्य संख्या का 1/5 साधारण सभा की गणपूर्ति (कोरम) समझी जावेगी। स्थगित सभा का कोरम उपस्थित सदस्यों का ही माना जावेगा।

35. 1) यदि निश्चित समय के एक घण्टे के पश्चात साधारण सभा को कोरम पूरा न हो तो सदस्यों द्वारा उपनियम 29(2) के अन्तर्गत बुलाई गयी सभी भंग समझी जावेगी।

47

2) अन्य दशाओं में दूसरी सभा शीघ्रातिशीघ्र नियम, 2003 के नियम 30(2) की प्रक्रियानुरूप बुलाई जावेगी।

3) सभापति सभा की राय से किसी भी सभा को स्थगित कर सकते है, किन्तु स्थगित सभा में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जो मूल सभा की कार्यसूची में शेष रहे गये हो।

36. समस्त सभाओं में अध्यक्ष सभापति का कार्य करेगा, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदस्य सभापति का आसन ग्रहण करेगा। यदि दोनो ही उपस्थित न हो तो उस सभा में बहुमत से चुना गया व्यक्ति सभापति बनाया जावेगा।

37. प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, सदस्य सोसाइटी की ओर से इसकी कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत व्यक्ति की सभा में भाग लेंगे तथा वोट देंगे।

38. समस्त मामलों का निर्णय बहुमत से होगा बराबर मत होने की अवस्था में सभापति निर्णायक मत द्वारा मामलें को तय करेगा।

39. प्रत्येक सभा का कार्य विवरण एक रजिस्टर में लिखा जावेगा, जिस पर सभापति व मंत्री के उसके सही होने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर होंगे।

संचालक मण्डल

40. सोसाइटी के कार्य सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व संचालक मण्डल को होगा, जिसका गठन निम्न प्रकार से होगाः-

1) व्यक्तिगत सदस्यों के 10 निर्वाचित प्रतिनिधि।

2) सदस्य सोसाइटियों के 2 निर्वाचित प्रतिनिधि।

3) राज्य सरकार के 3 प्रतिनिधि। (एक रजिस्ट्रार के, एक कृषि विभाग के एवं एक वित्त संस्था के प्रतिनिधि)

4) व्यवस्थापक-पदेन संचालक।

41. व्यक्तिगत सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य का पद अनुसूचित जनजाति एवं एक पद अनुसूचित जाति व दो पद महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

42. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संचालक मण्डल के सदस्य अपने में करेंगे।

43. संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

44. संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के अन्तरिम रिक्त स्थान की पूर्ति राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 के प्रावधानानुसार सहवरण के द्वारा की जावेगी। साथ ही सोसाइटी द्वारा उक्त रिक्त स्थान की सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल दी जावेगी।

45. संचालक मण्डल की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार बुलाई जावेगी। संचालक मण्डल का कोरम 9 का होगा। संचालक मण्डल की बैठक बुलाने के लिए सात दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। प्रत्येक निश्चय बहुमत से किया जावेगा। दोनो पक्षों के बराबर मत होने की दशा में सभापति निर्णायक मत द्वारा मामले को तय करेगा। संचालक मण्डल का कोई भी सदस्य उस समय उपस्थित नहीं रहेगा, जबकि उससे संबंधित कोई मामला विचाराधीन हो। अत्यन्त आवश्यकता की दशा में जबकि सभा बुलाने का समय न हो या ऐसे मामलों में जिनके लिए संचालक मण्डल समय-समय पर तय कर दे, व्यवस्थापक सदस्यों के पास बारी-बारी से कागजात भेजकर तय करा सकता है। इस प्रकार तय किये हुए मामले संचालक मण्डल की आगामी सभा में पुष्टि हेतु रखे जावेंगे। सदस्यों में मतभेद होने की दशा में वह मामला संचालक मण्डल की बैठक द्वारा ही तय किया जावेगा।

46. संचालक मण्डल का कोई भी सदस्य यदि लगातार तीन बैठकों में सम्मिलित न हो तो वह संचालक मण्डल से पृथक समझा जावेगा। ऐसे सदस्य को संचालक मण्डल उसके अनुपस्थिति के कारण सहित लिखित प्रार्थना पत्र पर यदि उचित समझे तो पुनः शामिल कर सकता है।

47. सोसाइटी के भिन्न-भिन्न पदाधिकारियों के निम्नलिखित अधिकार होगें:-

1) सोसाइटी के कारोबार पर साधारणतया अध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण होगा।

2) व्यवस्थापक, जो कि सोसाइटी का वैतनिक कर्मचारी होगा, सोसाइटी के कारोबार को संचालक मण्डल तथा अध्यक्ष के आदेशानुसार सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। व्यवस्थापक के कार्य निम्न होगें:-

(1) प्रत्येक साधारण सभा, संचालक मण्डल की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उनमें भाग लेना।

(2) सभाओं की कार्यवाही को किताब कार्यवाही में इन्द्राज करना।

(3) संचालक मण्डल के समय-समय पर आदेशानुसार सोसाइटी में खर्चा करना तथा खर्च के वाउचर को प्राप्त करना तथा सोसाइटी की वसूली करवाना।

(4) आवश्यक पुस्तकों में रेकार्ड रखना।

(5) सोसाइटी के कार्य के लिए आवश्यक पुस्तकें लिखवाना, हिसाब के वाउचर तैयार करवाना व अन्य पत्रादि तैयार करवाना जो सोसाइटी के कार्य से संबंधित हो।

(6) सोसाइटी के लिए पत्र व्यवहार करना तथा सदस्यों को आवश्यक सूचना देना।

(7) आडिट रिपोर्ट को साधारण सभा के समक्ष विचाराधीन रखना तथा इसके आक्षेपों को पूर्ण करके रजिस्ट्रार को सूचित करना।

(8) सोसाइटी एवं शाखाओं के वैतानिक कर्मचारियों के कार्यो की देखरेख करना। जांच करना तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करना।

(9) कृषकों की उपज को सोसाइटी में प्राप्त करने की व्यवस्था कर मण्डी में विक्रय करने की व्यवस्था करवाना।

(10) बिक्री व अन्य प्रकार की रकम प्राप्त करवाना।

(11) बिक्री की सम्भाल करना तथा तोल का ध्यान रखना।

(12) सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन के संचालन करने के लिए विद्यमान प्रबंधकारिणी समिति की अवधि की समाप्ति के छह मास पूर्व निर्वाचन प्राधिकारी एवं विभाग को सूचित करना।

(13) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नांकित विवरणियां प्रेषित करना-

i) सोसाइटी के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

ii) सोसाइटी के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण;

iii) अधिशेष के व्यय के लिए योजना, जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो;

iv) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची

v) सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा; और

vi) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(14) व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल यह कार्य सोसाइटी के किसी कर्मचारी को सौंप सकता है।

3) सोसाइटी की ओर से मुकदमा चलाने का अधिकार व्यवस्थापक को होगा ओर सोसाइटी पर मुकदमा भी व्यवस्थापक के नाम ही से चलाया जा सकेगा।

48. 1) कोई व्यक्ति संचालक मण्डल का सदस्य चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा यदिः-

(1) वह दिवालिया होने के लिए प्रार्थी हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो।

(2) उसने किसी अनैतिकता के संबंध में कारावास का दण्ड पाया हो और वह दण्ड वापस न लिया गया हो या माफ न किया गया हो। परन्तु यदि ऐसे दण्ड को भुगते हुए 5 साल का समय बीत चुका हो तो वह उसकी नियुक्ति में बाधक नहीं होगा।

(3) गूंगा, विक्षिप्त या कोढ़ी हो, या

(4) सोसाइटी का या सोसाइटी को ऋण देने वाली बैंक का वैतनिक कर्मचारी हो या सोसाइटी के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट संबंधी हो। निकट संबंधी होने के बारे में कोई मतभेद होने पर पंजीयक, सहकारी समितियां का निर्णय अग्रिम होगा।

(5) इस इस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति नादेहन्दा हो।

(6) सोसाइटी के किसी कारोबार से जिसमें रूपये, पैसे के लेनदेन का प्रश्न हो (अलावा रूपया उधार लेने व जमानत जमा कराने या आवश्यकीय सामान खरीदने तथा फसल बेचने के) किसी भी प्रकार संबंधित हो।

(7) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(8) वह अपनी उपज (फल सब्जी) सोसाइटी के द्वारा समस्त या 10000/- रूपये तक की वार्षिक विक्रय नहीं करता हो, यदि प्राकृतिक कारणों से ऐसे बेचे जाने वाली फसल की उपज 10000/- रूपये से कम हो तो उसके प्रमाणिकरण के पश्चात संचालक मण्डल राशि को कम कर सकता है।

(9) वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 व नियम, 2003 के नियम 33 में उल्लेखित अयोग्यताऐं या अन्य कोई अधिनियम, नियम या इन उपनियमों में उल्लेखित अयोग्यता धारण करता हो।

(10) वह ऑडिट समय पर नहीं कराने का, आमसभा समय पर नहीं करने का अथवा उनमें भाग नहीं लेने का दोषी करार दिया गया हो।

(11) सोसाइटी (फल सब्जी) के समान व्यापार अपने या किसी रिश्तेदार के नाम से करता हो।

(12) व्यापारी अथवा पेशेवर महाजन हो।

2) जो व्यक्ति राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30 के अन्तर्गत संचालक मण्डल से पृथक किया गया हो, तो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 28(6) के अनुसार वह पृथक होने की तारीख से 5 [redacted] तक संचालक मण्डल में पुनः नहीं चुना जा सकता।

49. प्रबन्धकारिणी के सदस्यों की सेवाऐं निःशुल्क होगी।

~~216~~
338

50. संचालक मण्डल के नित्य प्रतिकार्य को चलाने के लिए उपसमिति की नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके 5 सदस्य होगें। जिसमें कम से कम एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा।

संचालक मण्डल के अधिकार व कर्तव्य

51. संचालक मण्डल को उन अधिकारों के अतिरिक्त जो साधारण सभा के लिए विशेष रूप से नियत हैं, उद्देश्यों के अनुसार सोसाइटी के कार्य संचालन के सम्पूर्ण अधिकार होगें, किन्तु उनमें वह अधिकार न होगें, जिन पर साधारण सभा में अथवा उपनियमों में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हों।

विशेष रूप से संचालक मण्डल के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित होगें:-

1) सदस्य बनाना, सदस्यों को त्यागपत्र स्वीकृत करना एवं आवश्यकता होनें पर उपनियमों के अनुसार उन्हें सोसाइटी से पृथक करने की कार्यवाही करना।

2) सदस्यों के हिस्से क्रय करने की सीमा निश्चित करना।

3) नियत की गयी सीमा के अन्तर्गत ऋण तथा धरोहर (अमानत) का प्रबन्ध तथा स्वीकार करना।

4) धरोहर (अमानत) पर दी जाने वाली ब्याज दर निश्चित करना।

5) प्रमाण पत्र एवं सोसाइटी की पूंजी सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।

6) आवश्यक कार्यों के लिए बजट बनाना और स्वीकृति हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करना व उसके अनुसार व्यय की स्वीकृति देना।

7) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य पूर्ण किये जाने की योजना बनाना और साधारण सभा में स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें क्रियान्विति करने की व्यवस्था करना।

8) सदस्यों को उचित प्रतिभूति (जमानत) पर ऋण पत्र व पावती (रसीद) लिखवाकर आवश्यक कार्यो के लिए निश्चित सीमा के अन्तर्गत ऋण देना।

9) सोसाइटी का हिसाब ठीक-ठीक रखने, समय-समय पर जांच करने और वर्ष के अन्त में परीक्षण करनें की व्यवस्था करना।

10) (1) साधारण सभा की बैठक तथा वार्षिक अधिवेशन बुलवाने की व्यवस्था करना, उनके लिए विषय सूची तथा आवश्यक प्रस्ताव आदि प्रस्तुत करना व वार्षिक अधिवेशन के कार्य विवरण तथा उपनियम अनुसार लाभ वितरण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना एवं नियमानुसार वार्षिक कारोबार का चिट्ठा प्रकाशित करना।

(2) आवश्यकतानुसार उप समितियां बनाना तथा उन्हें अपना कोई अधिकार देना।

11) केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं के हिस्से क्रय करना तथा उसकी सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।

12) आवश्यकता होने पर सोसाइटी के कार्यो के लिए उचित कानूनी व्यवस्था करना अथवा सदस्यों अथवा पदाधिकारियों से संबंधित मामलों में पंच निर्णय की व्यवस्था करना।

13) सदस्यों का प्रतिवेदन सुनना और उस पर उचित निर्णय देना।

14) आय-व्यय परीक्षा पत्र तथा निरीक्षण पत्र में की गयी आपत्तियों पर विचार करना एवं साधारण सभा के समक्ष उन पर मत प्रकट करना।

15) विशेष प्रस्ताव द्वारा किन्हीं आवश्यक कार्यो के सम्पादन के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा किसी वैतनिक कर्मचारी को आवश्यक अधिकार व कर्तव्य सौंपना।

47

16) संचालक मण्डल के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान, अकस्मात् निधन के कारण रिक्त हो जाने के कारण, उस जगह पर अन्य सदस्य का सहवरण करना।

17) कैशियर के पास रहने वाली पूंजी की अधिकाधिक सीमा निश्चित करना।

18) सोसाइटी का हिसाब पोस्ट ऑफिस या ऐसे बैंक में खोलना जो पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा मान्य हो।

19) अधिकृत अधिकारी को सोसाइटी के कार्य एवं रजिस्टर हिसाब आदि का परीक्षण करने में सहयोग करना एवं रेकार्ड उपलबध कराना।

20) आवश्यकतानुसार वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना और उन्हें स्थाई रूप से हटाना।

21) हर एक सदस्य की (हैसियत का नक्शा) आर्थिक स्थिति की जांच करके उसकी ऋण सीमा निर्धारित करना तथा उसे साधारण सभा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

22) यह पता लगाना कि जिन फसलों की पैदावार बेचने का प्रबन्ध किया जा रहा है, उनका क्षेत्रफल कितना है और यह हिसाब लगाना कि किस सीमा तक सदस्यों को उनकी पैदावार की जमानत पर ऋण दिया जा सकता है।

23) सदस्यों की फसल की हालत ज्ञात करना और अनुमानिक लेखा प्रस्तुत करना कि वे कितनी पैदावार सोसाइटी के द्वारा बेचेंगे।

24) पैदावार को अपने गोदामों में (कोल्ड स्टोरेज) सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना, बिक्री के लिए उचित एजेन्सियां स्थापित करना और ईमानदार आढ़तियों की सूची स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना, जिनके द्वारा माल बेचा जा सके।

25) माल के क्रय विक्रय में आवश्यक कमीशन की दर निश्चित करना।

26) सदस्यों को दैनिक आवश्यकतानुसार की वस्तुऐं उचित मूल्य पर मिलने का प्रबन्ध करना।

ऋण

52. 1) सोसाइटी अपने उन सदस्यों को, जिन्होंने किसी ऋणदात्री सोसाइटी से ऋण न ले रखा हो, खड़ी फसल की हालत देखकर उसकी तथा दो अन्य सदस्यों की जमानत पर फसल के अनुमानित मूल्य का 1/3 तक ऋण दे सकेगी, परन्तु यह ऋण उस सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा से बाहर नहीं होगा।

2) उपरोक्त ऋण के अलावा सदस्यों द्वारा सोसाइटी के गोदामों में रखी नई फसल की जमानत पर उस वस्तु के बाजार भाव से 50 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकता है।

3) दोनों प्रकार के ऋण की ब्याज दर सोसाइटी की कार्यकारिणी निश्चित करेगी जो 12 प्रतिशत वार्षिक से किसी हालत में अधिक नहीं होगी।

आवश्यक वस्तुओं का विवरण

53. 1) संचालक मण्डल निम्नलिखित वस्तुओं का क्रय करने व वितरण का प्रबन्ध कर सकती है:-

(1) सदस्यों हेतु कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं जैसे बीज, खाद, औजार आदि।

(2) सदस्यों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुऐं जैसे कपडा, तेल दियासलाई आदि।

2) सदस्यों की कृषि संबंधी दैनिक आवश्यकता की तथा अन्य वस्तुऐं क्रय करने में साधारणतया सोसाइटी आढ़तियों का काम करेगी और इस कार्य से होने वाली हानि का भार सदस्यों पर रहेगा। सोसाइटी सदस्यों से उनकी आवश्यकताओं की सूची लेकर ही क्रय करेगी, किन्तु संचालक मण्डल को यह भी अधिकार होगा कि यदि

वह उचित समझे तो सोसाइटी की वसूलशुदा पूंजी तक के मूल्यों का सामान सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं भी क्रय करके दे सकता है।

3) इस प्रकार विक्रय तथा वितरण साधारणतया नकद कीमत लेकर सदस्य को ही किया जावेगा। पंजीयक, सहकारी समितियां की स्वीकृति से असदस्यों को भी दिया जा सकता है। सदस्यों को माल उनके ऋण खाते में रकम लिखकर उधार भी दिया जा सकता है।

4) हर तीन माह बाद संचालक मण्डल द्वारा मौजूदा माल की जांच की जावेगी और उसके मूल्य में आवश्यकतानुसार कमी की जावेगी।

क्रय-विक्रय

54. सदस्यों को अपनी उपज इस सोसाइटी के माध्यम से बेचनी होगी। सोसाइटी के माध्यम से कम से कम अपने ऋण के बराबर माल न बेचने पर ऐसे सदस्य पर संचालक मण्डल प्रतिदिन पाँच सौ रूपये तक जुर्माना कर सकेगी।

55. सोसाइटी अधिकतर सदस्यों की उपज कमीशन पद्धति पर बेचेगी, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सोसाइटी सदस्यों की उपज एकदम क्रय भी कर सकेगी, जिसकी सीमा संचालक मण्डल द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी जावेगी। (कमीशन की दर तथा इस संबंध में अन्य आवश्यक नियम सोसाइटी की संचालक मण्डल द्वारा बनाये जायेंगे।

56. माल बिकने पर सोसाइटी तथा किसी प्रारम्भिक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी की सदस्य हो, का उस सदस्य पर जो लेना बाकी हो, को काटकर बाकी रकम सदस्य को दे दी जावेगी।

लाभ वितरण

57. शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत भाग आरक्षित निधियों में रखा जावेगा। शेष लाभ का पंजीयक, सहकारी समितियों की स्वीकृति से अधिनियम की धारा 48 एवं नियम 70 के अनुरूप वितरण किया जावेगा।

वार्षिक आय-व्यय परीक्षण

58. सोसाइटी के हिसाब व आय-व्यय की जाँच हर वर्ष 30 सितम्बर तक राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 73 के प्रावधानानुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से साधारण सभा द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक अथवा लेखापरीक्षा फर्म से करानी होगी।

उपनियमों में संशोधन

59. इन उपनियमों में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 तथा राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम 2003 एवं इनमें समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार साधारण सभा की बैठक में, जो इसी कार्य के लिए बुलाई गयी है, दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है, किन्तु उनको लागू करने से पूर्व पंजीयक, सहकारी समितियों की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है।

सोसाइटी का भंग होना

60. सोसाइटी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 61 के अनुसार केवल पंजीयक, सहकारी समितियों की आज्ञा से भंग की जा सकती है।

निर्देशों का प्रभावकारी होना

61. सोसाइटी पर राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा दिये गये सभी निर्देश बाध्यकारी रूप से लागू होंगे।